कार्यालय उप वन संरक्षक , स्टेज– I, छतरगढ

क्रमांक : एफ ( ) सर्वे/2017–18/ 4800 दिनांक 08-09-2017

श्रीमान अधिशाशी अभियन्ता (टी एण्ड सी) ,
राराविप्रनिलि, बीकानेर

विषयः– Diversion of 16.48 Ha. Of forest land in favour of Executive Engineer Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam for Construction of 132 KV Chhatargarh-Khajuwala Transmission line

संन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र सं. 8बी/राज./04/09/2017/एफ.सी./241 दिनांक 30.08.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त संदर्भित पत्रांक द्वारा केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 16.48 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं कुल 42 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की गई है। अतः अधिरोपित शर्तों की पालना में निम्नानुसार राशि जमा करवाकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें :–

बिन्दु संख्या 01:–वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

बिन्दु संख्या 02 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की राशि 16.48 हैक्टर X 438000 रू = 7218240 रू (अक्षरे बहत्तर लाख अठारह हजार दो सौ चालीस मात्र) राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।

बिन्दु संख्या 03:– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।

बिन्दु संख्या 04:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभवित वन क्षेत्र के दोगुने वन भूमि अर्थात 32.96 है0 (16.48 X 2 = 32.96 है0) पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि = 32.96 हैक्टर X 129000 रू = 4251840 रू (अक्षरे बयालीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ चालीस मात्र) राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

बिन्दु संख्या 05 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाईन के नीचे बोने पौधे (मुख्यतः औशधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 4875734 रू (अक्षरे अड़तालीस लाख पिचहत्तर हजार सात सौ चौंतीस मात्र) राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।

बिन्दु संख्या 06:– विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4″ फीट ऊचे आर.सी.सी. पिल्लरों से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर कमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिल्लरों से दूरी दर्शायी जाएगी

बिन्दु संख्या 07:– पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षो की संख्या न्यूनतम हो ।

बिन्दु संख्या 08:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जाएगा।

बिन्दु संख्या 09:– पारेषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way)की चौडाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी ।

बिन्दु संख्या 10:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानो पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे । साथ ही वन्य प्राणियों को विधुत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance)रखना सुनिश्चित किया जाएगा ।

बिन्दु संख्या 11:– परियोजना के निर्माण और रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जाएगी ।

बिन्दु संख्या 12:– प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जाएगा ।

बिन्दु संख्या 13:– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा ।

Scanned by CamScanner

बिन्दु संख्या 14:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

बिन्दु संख्या 15:– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी ।

बिन्दु संख्या 16:– परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा ।

बिन्दु संख्या 17:– राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विमुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

उक्त राशियो के अलावा 42 पेडो के कटान की राशि 83910 रूपऐ (अक्षरे तिरासी हजार नौ सौ दस मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, छतरगढ के नाम बनाकर इस कार्यालय में जमा करावे।

उक्त बिन्दु संख्या 2,4 एवं 5 की शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी) तथा दुसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स फेज – 1, लोधी रोड़ , नई दिल्ली–110003 के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB A/C No. 037100101025225 में जमा करवाकर जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई रशि धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) भिजवावे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना आगामी कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय

(एस के आबुसरिया)
उप वन संरक्षक
इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना
स्टेज–प्रथम छत्तरगढ़ (बीकानेर)

कमांक – समसख्यंक/ **दिनांक**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षक) एव नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप वन संरक्षक
इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना
स्टेज–प्रथम छत्तरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner